

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(11) राज/वाद/24

जयपुर दिनांक 23/04/2026

:: आदेश ::

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 17.04.2026 के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष उद्भूत राज्य सरकार के प्रकरणों की पैरवी/प्रस्तुत करने हेतु सुश्री निधि जसवाल को पैनल लॉयर तथा श्री सौरभ राजपाल को एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नियुक्त किया गया है।

उक्त आदेश दिनांक 17.04.2026 के क्रम में उक्त आदेश जारी होने से पूर्व सुश्री निधि जसवाल को राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की हैसियत से पैरवी/प्रस्तुत करने हेतु आवंटित प्रकरण, श्री सौरभ राजपाल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष राज्य सरकार की ओर से पैरवी/प्रस्तुत करने हेतु आवंटित/हस्तांतरित किये जाते हैं।

ह
(राघवेन्द्र काष्ठवाल)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल/माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री।
3. निजी सचिव, विद्वान महाधिवक्ता, राज0, जयपुर।
4. सेक्रेटरी जनरल, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
5. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
6. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
8. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता/राजकीय अधिवक्ता मय अति0 महाधिवक्तागण/प्रशासक वादकरण /गवर्नमेंट काउन्सिल, जोधपुर/जयपुर।
9. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता/एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
10. समस्त जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक/विभागाध्यक्ष।
11. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजस्थान।
12. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
13. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
14. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
15. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
16. सुश्री निधि जसवाल, पैनल लॉयर को प्रेषित कर लेख है कि दिनांक 17.04.2026 से पूर्व आपको राजस्थान राज्य की ओर से पैरवी हेतु एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की हैसियत से आवंटित प्रकरणों की पत्रावलियां श्री सौरभ राजपाल, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को अविलम्ब संभलवाकर, इस विभाग को अवगत करावें।
17. श्री सौरभ राजपाल, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को प्रेषित कर लेख है कि आप सुश्री निधि जसवाल, पैनल लॉयर से उन्हें दिनांक 17.04.2026 से पूर्व एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की हैसियत से राजस्थान राज्य की ओर से पैरवी हेतु आवंटित प्रकरणों की पत्रावलियां प्राप्त कर, इस विभाग को अवगत करावें।
18. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी।
19. संबंधित कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
20. आहरण एवं वितरण अधिकारी/लेखा शाखा, वादकरण विभाग।
21. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
22. रक्षित पत्रावली।

23/4/26
शासन सचिव, विधि